फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री प्रफुल्ल राजगुरु पिता श्री नारायण राजगुरु, निवासी 3–ए, प्रेमनगर, रिलायन्स फ्रेश के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 40/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.08.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1()सू0अ0,05/2023/444–46 दिनांक 22.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 03 सूचना का संबंध सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से न होकर कार्यालय तहसीलदार नाथद्वारा, राजसमन्द से होने के कारण उक्त आरटीआई आवेदन को जरिये पत्रांक 318–319 दिनांक 18.04.2023 से अपीलार्थी को पृष्ठाकंन करते हुए संबंधित कार्यालय तहसीलदार नाथद्वारा को अन्तरण कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा के पत्र क्रमांक सु.अ./2023/521–522 दिनांक 03.07.2023 से वांछित सूचना के संबंध में तहसील कार्यालय नाथद्वारा में कोई रिकार्ड उपलब्ध नही हैं। राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जॉच अनुसार ग्राम नाथद्वारा के आराजी नम्बर 2850 किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त आबादी में अहिल्या बाई का कुण्ड बना हुआ हैं। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये पत्रांक 318–319 दिनांक 18.04.2023 से अपीलार्थी को पृष्ठाकंन करते हुए संबंधित कार्यालय तहसीलदार नाथद्वारा को अन्तरण करवा दी तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा के पत्र क्रमांक सु.अ./2023/521–522 दिनांक 03.07.2023 से वांछित सूचना के संबंध में तहसील कार्यालय नाथद्वारा में कोई रिकार्ड उपलब्ध नही होने से अपील	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अपीलार्थी को अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना की उपलब्धता के संबंध में समूचित जॉच कर संबंधित सक्षम लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)